www.nacoonline.org

NACO समाचार

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
की समाचार पत्रिका

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

खंड IV, अंक 3
जुलाई-सितम्बर 2008

मेनस्ट्रीमिंग के गुण

एचआईवी/एड्स की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहु-क्षेत्रीय रणनीति

8 अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन: मैक्सिको की यात्रा
10 गांवों के अंचल में
11 भारतीय दंड संहिता की धारा 377
13 युवा भारत के लिए प्रोटोकॉल
15 ईश्वर के अपने देश में

पाठकों के पत्र

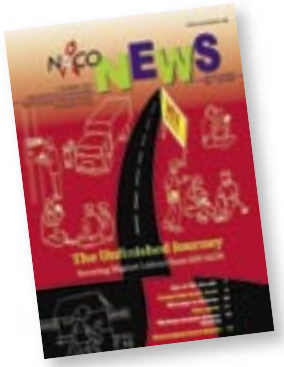

नाको समाचार समाज को एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूक करता है। इसे प्रस्तुत करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, वह बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन मैं समझती हूं कि इसमें थोड़ी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि गैर-तकनीकी पाठक भी आसानी से समझ सकें।

डॉ निरूपमा छायानी
प्रो. और विभागाध्यक्ष (माइक्रो बायलॉजी)
एससीबी मेडिकल कॉलेज,
कटक, उड़ीसा

• • •

नाको समाचार न केवल एचआईवी/एड्स से संबंधित नई जानकारियां उपलब्ध कराता है, बल्कि यह गैर-सरकारी संगठनों और इस कार्य में लगे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इससे यह आशा भी जगती है कि समाज में बदलाव आ रहा है। यह बहुत सराहनीय काम होगा अगर इस समाचार की प्रतियां उन सभी एमएनजीओ/एफएनजीओ को भेजी जाएं जो एचआईवी के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाएं।

बिप्लव मिश्र
सचिव, प्रकल्प, एमएनजीओ, क्योंझर

• • •

यह पत्रिका सूचना, विचार-बिंदु, साक्षात्कार, केस स्टडी और मनःस्थिति का मिश्रण है। प्रवासी मजदूरों को एचआईवी/एड्स से बचाने से संबंधित इस पत्रिका की आवरण कथा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसमें दिए गए तथ्य और जानकारियां नीति निर्धारण के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ऐसे प्रयासों को समझने की जरूरत है और इसके बारे में दूसरों को बताना भी जरूरी है। इस तरह का प्रवासीकरण भारत के सभी राज्यों में होता है। इस तरह के गहरे अध्ययन और ज्ञान को बांटने की बहुत अधिक आवश्यकता है और ऐसा करने में यह पत्रिका पूरी तरह सफल है।

मेरी शुभकामनाएं।

के. महेश कुमार
प्रबंधक, संचार, क्लिंटन फाउंडेशन

पिछले अंक में प्रवासियों से संबंधित लेख काफी जानकारी वाला था। प्रवासन और एचआईवी, एनएसीपी-III के तहत चलने वाले बचाव और नियंत्रण कार्यक्रम का भविष्य है। गंजम के तर्ज पर प्रवासन कार्यक्रम की पूर्ण रूप से कवरेज के लिए हमें स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धतता आदि को ध्यान में रखना होगा। अन्यथा यह सिर्फ एक बढिया दस्तावेज बन कर रह जाएगा।

डॉ एल. साईकृष्ण
अध्यक्ष, सामाजिक और स्वास्थ्य बचाव
सत्यम फाउंडेशन

समाचार के माध्यम से लोगों तक हमारी पहुंच

यह बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अप्रैल-जून 2008 में हमने नाको न्यूजलेटर का पहला हिंदी संस्करण निकाला, जिसे काफी सराहना मिली। लोगों की काफी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिलीं। इस पत्रिका के हिंदी संस्करण के माध्यम से हमें बहुत बड़ी संख्या में आम लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। हम उन सभी के आभारी हैं, जिन्होंने इसे संभव बनाने में हमारा सहयोग किया।

कृपया अपने लेख और सुझाव भेजकर नाको समाचार को अधिक सहभागितापूर्ण बनाने में हमारी मदद करें। हमें निम्न विषयों पर अपने लेख भेजें:

- केस स्टडीज़
- क्षेत्रीय कार्यक्रमों से संबंधित टिप्पणियां और अनुभव
- समाचार
- प्रेरक प्रसंग ...और भी बहुत कुछ

नाको समाचार के पिछले अंक और एचआईवी/एड्स पर अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें:
www.nacoonline.org या ई-मेल करें:
mayanknaco@gmail.com

- संपादक

एआरटी ले रहे लोगों की संख्या*

नाको की सहायता से चलने वाले एआरटी केन्द्र	170575
विभिन्न क्षेत्रों के साझेदार	2479
जीएफटीएम चक्र-II केन्द्र	2489
एनजीओ सेक्टर	474
कुल योग	176017

*30 सितंबर, 2008 के अनुसार

महानिदेशिका की कलम से

इस अंक की आमुख कथा का विषय भारत के एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, मेनस्ट्रीमिंग है। मेनस्ट्रीमिंग क्या है? यह केवल अन्य प्रकार का हस्तक्षेप या एड्स पर किसी एक या दूसरे समूह द्वारा चलाई जा रही परियोजना नहीं है। यह इन सबसे काफी कुछ अलग है। यह इस बात की पहचान है कि एड्स कंट्रोल मिशन के व्यापक और बहु-क्षेत्रीय स्वामित्व के जरिये ही इस महामारी को दूर किया जा सकता है।

सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी क्षेत्र की कंपनियों, नागरिक संगठनों से लेकर सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्तर तक मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ है कि केवल बैठकें करके, किसी खास दिन या मौके पर प्रतीकात्मक या तदर्थ कार्यक्रम चला कर ही एचआईवी/एड्स की चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता। बल्कि संगठनों और संस्थानों के चार्टर में एड्स नियंत्रण की बातें लिखी जानी चाहिए। उन्हें सामान्य रूप से मंत्रालयों और कॉरपोरेशनों की रोजाना की प्रक्रिया में शामिल करना होगा।

भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2005 में नेशनल काउंसिल ऑन एड्स का गठन मेनस्ट्रीमिंग के सफर में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसके साथ भारत सरकार के 31 मंत्रालय और सात मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संस्थानों में काम करने वाले, पॉजीटिव पीपुल्स नेटवर्क के प्रतिनिधि, नागरिक और व्यावसायिक संगठनों के बहुत सारे लोग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़ गये।

पूछा जा सकता है कि जब प्रभावितों की संख्या कम है और इस महामारी पर लगातार नजर रखी जा रही है तो मेनस्ट्रीमिंग की शुरुआत करने का क्या महत्त्व है? इसलिए कि एचआईवी/एड्स केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, इसके सामाजिक और आर्थिक आयाम भी हैं।

एचआईवी/एड्स की चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत में चलाए जा रहे मेनस्ट्रीमिंग और दूसरे तरीके मैक्सिको शहर में अगस्त, 2008 में हुए अंतर्राष्ट्रीय एड्स कॉन्फ्रेंस में लोगों के लिए काफी रोचक विषय रहे। वहां भारत में एचआईवी/एड्स के नये आंकड़ों को लेकर काफी रूचि थी जो कि बताते हैं कि महामारी काबू में है और अति जोखिम वाले समूहों से यह सामान्य आबादी में बहुत ज्यादा नहीं फैल पायी है। सम्मेलन के विशेष सत्र में गणना के तरीके, आंकड़ों के स्रोत, नाको के कामकाज और इसके सहभागियों आदि से संबंधित अनेक सवाल पूछे गए और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा।

मैक्सिको में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त कर समलैंगिकता को गैर-आपराधिक गतिविधि का दर्जा दिए जाने की ज़ोरदार अपील की। यह आदिम कानून, जिसकी जड़ें उन्नीसवीं सदी के विक्टोरिया युग से जुड़ी हैं, नाको के रास्ते का एक गंभीर अवरोध है। इसके चलते उन पुरुषों तक पहुंचने में बाधा आती है जिनके पुरुषों से यौन संबंध हैं, जबकि इस समूह में एचआईवी का बहुत अधिक जोखिम है।

ऐसी बहुत सी चुनौतियाँ है जिनका मुकाबला हम साथ मिलकर कर सकते हैं। आइए, हम सब साथ मिलकर काम करें और इस वायरस को हरा दें।

सुश्री के. सुजाता राव
अतिरिक्त सचिव और महानिदेशिका
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

मेनस्ट्रीमिंग के गुण

एचआईवी/एड्स की चुनौती से पार पाने के लिए बहु-क्षेत्रीय रणनीति

कोई मकसद, कोई मिशन सभी को साथ लिये बिना सफल नहीं हो सकता। इसी तरह विभिन्न संस्थाओं और लोगों के भाग लिये बिना, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को सही रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

एचआईवी/एड्स के मामले में भारतीय अनुभवों के मद्देनज़र यही बात कही जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में एड्स के वायरस और इसके बुरे प्रभावों के बारे में खुलकर बातचीत करने संबंधी बातों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस विषय से संबंधित अनेक सवालों पर बनी चुप्पी भी अब धीरे-धीरे टूटने लगी है। मेनस्ट्रीमिंग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेनस्ट्रीमिंग को जानने के लिए हमारे लिए पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह किस लिए ज़रूरी है।

सामान्यतः, मेनस्ट्रीमिंग इस बात की पहचान है कि एचआईवी/एड्स केवल चिकित्सकीय या सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, जिसे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर छोड़ा जा सके। यह एक प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है और उनसे तत्काल या भविष्य में प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहती है। ज़ाहिर है, इसका असर हर क्षेत्र पर भीतरी और बाहरी दोनों तरह से पड़ता है।

विश्लेषकों के अनुसार मेनस्ट्रीमिंग और एकीकरण में अंतर है। एकीकरण की स्थिति में एक बाहरी एजेंसी का अंदरूनी प्रक्रिया में समावेश किया जाता है, जबकि मेनस्ट्रीमिंग के तहत किसी संस्थान के कार्यक्रम या नीतिगत रूपरेखा में एचआईवी/एड्स से जुड़े मुद्दे एक आवश्यक अवयव के रूप में शामिल कर लिये जाते हैं। किसी संस्था या संस्थान के मूल उद्देश्यों को नज़रअंदाज़ करने के बजाय उन्हें मजबूत करना ही मेनस्ट्रीमिंग का असल मकसद है।

मेनस्ट्रीमिंग इस बात की पहचान है कि एचआईवी/एड्स केवल चिकित्सकीय या सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, जिसे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर छोड़ा जा सके। यह एक प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है और उनसे तत्काल या भविष्य में प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहती है। ज़ाहिर है, इसका असर हर क्षेत्र पर भीतरी और बाहरी दोनों तरह से पड़ता है।

आह्वान का जवाब देना

मेनस्ट्रीमिंग का मतलब एक प्रकार से एचआईवी/एड्स से जुड़े मुद्दों के लिए संस्थान की नीतियों में वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी प्रतिबद्धता को शामिल करना है। यह केवल स्वास्थ्य प्राधिकरणों या नाको की सरसरी तौर पर मदद से संभव नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक और स्वैच्छिक निकायों को इस महामारी से निपटने के लिए बहु-क्षेत्रीय ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा।

मेनस्ट्रीमिंग को एचआईवी/एड्स से बचाव की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रक्रिया को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- आंतरिक और बाह्य मेनस्ट्रीमिंग। आंतरिक मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ इस तरह की संगठनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने से है, जिनके माध्यम से एचआईवी के प्रभाव को संगठन के भीतर कम किया जा सके। इसे इस बात पर केंद्रित किया जाता है कि कर्मचारी इसे कार्य स्थल-संबंधी नीतियों के तौर पर स्वीकार कर सकें।

बाह्य मेनस्ट्रीमिंग के तहत संगठन की बाहरी पहुंच के जरिये सामान्य आबादी के बीच असुरक्षित समूहों तक एचआईवी/एड्स सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों को ले जाया जाता है। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए मेनस्ट्रीमिंग के माध्यम से सहयोगी संस्थाओं के तकनीकी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

तिहरा रास्ता

गैर-स्वास्थ्य क्षेत्रों में एचआईवी की मेनस्ट्रीमिंग रोकथाम की महत्त्वपूर्ण रणनीति है। इसका लक्ष्य गैर-स्वास्थ्य हलकों में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

इसलिए व्यापक मेनस्ट्रीमिंग के तीन लक्ष्य हैं:

- सभी सरकारी दफ्तरों, संगठित और असंगठित निजी क्षेत्रों और नागरिक संगठनों में रोकथाम संबंधी संदेश और प्रशिक्षण देना।

- उन सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना, जिनके चलते एचआईवी/एड्स से असुरक्षा बढ़ती है।

- बहु-क्षेत्रीय सहयोग और संवाद कायम रखने संबंधी उपायों की रणनीति तैयार करना।

यह जरूरी है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाय तभी एचआईवी/एड्स के प्रति समाज का रुख निर्णायक गतिविधि के रूप में तब्दील हो सकेगा।

मेनस्ट्रीमिंग के लिए प्रयास

एड्स की चुनौतियों पर व्यापक रूप से काबू पाने के लिए सरकारी और राजनीतिक समर्थन

सन 2005 में नेशनल काउंसिल ऑन एड्स, (एनसीए) का गठन मेनस्ट्रीमिंग अभियान में देश के राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों, निजी क्षेत्र के निकायों और नागरिक समूहों की सामूहिक गतिविधियों द्वारा एनसीए ने मेनस्ट्रीमिंग अभियान को आगे बढ़ाया।

मंत्रालयों में

सामान्य शासन प्रक्रिया में मेनस्ट्रीमिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उदाहरण के तौर पर वे मंत्रालय हैं जिनका स्वास्थ्य संबंधी मुद्दो से सीधा सरोकार नहीं है। सन् 2008 में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर 'एचआईवी रिस्पॉन्स कॉर्नर' शुरू किया। इसका मकसद गरीबी और एचआईवी के अंतरसंबंधों और परिवारों और समुदायों पर इस महामारी के पड़ने वाले बुरे प्रभावों को सामने लाना था।

नेशनल काउंसिल ऑन एड्स (एनसीए) का गठन मेनस्ट्रीमिंग अभियान में देश के राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है।

यह एचआईवी/एड्स और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जांचों, उपचार और पॉजीटिव लोगों के नेटवर्क और राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटीज के बारे में भी यह सूचनाएं मुहैया कराता है।

दूसरा बेहतरीन उदाहरण पर्यटन मंत्रालय का है, जिसने 'रिस्पॉसिबल टुरिज़्म एंड एचआईवी/एड्स' विषय पर हाल ही में एक संगोष्ठी आयोजित की। इसमें पर्यटन मंत्रालय के सचिव ने मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन उद्योग और एचआईवी/एड्स के अंतरसंबंधों पर प्रकाश डाला।

चाहे यह गृह मंत्रालय के तहत पैरामिलिटरी फोर्सेस का एचआईवी पर प्रशिक्षण हो या आईबीएसए अथवा भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रिका सहयोग के तहत विज्ञान और तकनीकि मंत्रालय द्वारा एड्स अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाना हो या रेल कर्मियों के बीच एचआईवी से सुरक्षा संबंधी संदेशों को पहुंचाना हो, मेनस्ट्रीमिंग अनेक सरकारी विभागों में एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो गयी है।

राज्यों में भी यह भावना विकसित होती दिखाई देने लगी है (देखें बॉक्स)। धीरे-धीरे ही सही, पर निश्चय ही मेनस्ट्रीमिंग भारत के सार्वजनिक जीवन और चेतना में शामिल होती जा रहा है।

भारत को अपने लोगों पर गर्व है, यह विस्तृत और उत्पादन करने वाले मेहनतकश लोगों का देश है। फिलहाल सबसे परेशान करने वाला तथ्य यह है कि यहां एचआईवी संक्रमित 90 प्रतिशत लोग 15-49 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जबकि यही काम करने की सबसे उपयुक्त उम्र होती है। ऐसे में निजी

मेनस्ट्रीमिंग के उदाहरण
राज्यों से नमूने

- तमिलनाडु पर्यटन विकास कारपोरेशन ने जून में पर्यटन और एचआईवी/एड्स विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य के सभी पर्यटन सूचना केंद्रों, मेलों, पर्यटन स्थलों और होटलों में कारगर संदेशों का प्रसारण किया जाए। इसके अलावा पर्यटन के पेशे से जुड़े लोगों में क्षमता विकसित करने संबंधी कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत एक अग्रगामी परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में मम्मलापुरम और ऊटी में की जाएगी।
- कार्य स्थलों पर कर्मचारियों को एड्स के बारे में और उसकी रोकथाम के प्रति शिक्षित करने के मकसद से झारखंड में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन के सहयोग से मुहिम शुरू की। सरकारी विभागों से लेकर राज्य पुलिस, राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से लेकर झारखंड के बहुत सारे कोयला खदान श्रमिकों के बीच कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- पंजाब में राज्य स्तर यहां तक कि जिला स्तर पर लोगों में, खासकर इंजेक्शन के जरिये नशीली दवाएं लेने वाले लोगों में एचआईवी/एड्स के प्रति जानकारी देने के मकसद से सराहनीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने की। इस कार्यशाला में सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, यूएनएड्स के अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद थे।
- राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने एचआईवी/एड्स की मेनस्ट्रीमिंग के लिए सितंबर 2008 में कार्यक्रमों की एक श्रंखला चलाई। प्रस्तावित प्रवासी मजदूर सूचना केंद्रों के जरिए प्रवासी मजदूरों, खासकर एचआईवी/एड्स संक्रमित लोगों की मदद के लिए और जिला स्तर पर पंचायत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह मेनस्ट्रीमिंग संबंधी प्रयासों में अपनी सहभागिता दर्ज कराए।

सन 1985 में लार्सन एंड टूब्रो ने अपने कर्मचारियों के लिए एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था, जोकि किसी भी व्यावसायिक घराने की तरफ से शुरू किया गया पहला प्रयास था। पिछले दशक में इसमें कुछ गति आई है। 1996 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने इंडिया बिजनेस ट्रस्ट फॉर एचआईवी/एड्स कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

यहां एचआईवी संक्रमित 90 प्रतिशत लोग 15-49 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जबकि यही काम करने की सबसे उपयुक्त उम्र होती है। ऐसे में निजी क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वह मेनस्ट्रीमिंग संबंधी प्रयासों में अपनी सहभागिता दर्ज कराए।

2006 में निजी-सार्वजनिक सहभागिता के तहत पांच एआरटी सेंटरों की स्थापना की गई, जिसमें बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, एसीसी, रिलायंस और बजाज ऑटो एक मंच पर आए।

2008 में यूएसएड ने पीएसआई के माध्यम से एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों (पीएलएचए) के लिए स्टार एलाइंस के सहयोग से पहली बार सामूहिक बीमा की शुरुआत की। अब तक 1,300 भारतीय कंपनियों ने अपने कार्य स्थलों पर एचआईवी नीतियां विकसित की हैं। इस तरह मेनस्ट्रीमिंग उद्यम का हिस्सा बन रहा है।

■ डॉ हरिमोहन
टीम लीडर
मेनस्ट्रीमिंग यूनिट, नाको

उत्तरदाई पर्यटन और एचआईवी/एड्स पर सेमिनार

मेनस्ट्रीमिंग पर एक नज़र

भूतल परिवहन मंत्रालय	
लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए लाभान्वित ट्रक चालकों की संख्या	31,66,218
राजमार्गों पर आयोजित पथिक मेलों की संख्या	5
रेल मंत्रालय	
एआरटी केन्द्रों द्वारा घोषित एड्स के साथ जी रहे लोगों के लिए द्वितीय श्रेणी डिब्बों में यात्रा संबंधी छूट	50 प्रतिशत
उन लोगों की संख्या जिन तक रेड रिबन एक्सप्रेस (आरआरई) के माध्यम से पहुंच बनाई गई	62,00,000
आरआरई के माध्यम से परामर्श प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या	1,15,000
आरआरई के माध्यम से एचआईवी/एड्स पर प्रशिक्षण पाने वाले चुनिंदा रिसोर्स पर्सन की संख्या	68,000
रेलवे अस्पतालों में आईसीटीसी की संख्या	35
रेलवे अस्पतालों में एआरटी कर्मियों की संख्या	1239
खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय	
"स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा" कार्यक्रम के तहत हिस्सा लेने और एचआईवी/एड्स के प्रति संवेदनशील बनाए गए एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	1,45,000
"स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा" कार्यक्रम के तहत एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक बनाए गए विद्यार्थियों की संख्या	3,50,000
विश्वविद्यालयों में निर्मित रेड रिबन क्लब	3,350
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
22 राज्यों में डीएफपी द्वारा एड्स से संबंधित मुद्दों पर चलाए गए विशेष पारस्परिक कार्यक्रमों की संख्या	3437
संगीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा एड्स संबंधी मुद्दों पर प्रस्तुत कार्यक्रमों की संख्या	6191
राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित आरआरई विज्ञापनों की संख्या	231
डीडी नेशनल और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा एचआईवी/एड्स पर प्रसारित विज्ञापनों की संख्या	21708
पंचायती राज मंत्रालय	
पंचायत युवा शक्ति अभियान के तहत जागरूक बनाए गए युवाओं की संख्या	6118
उन ग्राम सभाओं की संख्या, जिनमें एचआईवी/एड्स संबंधी मुद्दों पर जनजागरूकता बैठकें आयोजित की गईं	73,000
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत अनौपचारिक क्षेत्रों से आए कामगारों की वह संख्या जिन्हें एचआईवी/एड्स की जानकारी दी गयी	6,06,308
ईएसआईसी योजना के तहत एसटीडी के लिए पॉजिटिव टेस्ट वाले लोगों की संख्या	50,165
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा एचआईवी/एड्स से बचाव संबंधी कैप्सूल कोर्स पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	3,340
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
एचआईवी/एड्स से संबंधित मुद्दों पर परामर्श लेने वाले नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या	52,633
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
उन स्कूलों की संख्या जिनमें जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम (एलएसई) चलाए जा रहे हैं	1,14,345
एलएसई के तहत प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	2,88,733
रक्षा मंत्रालय	
आईसीटीसी/पीपीटीसीटी के स्थापित केंद्रों की संख्या	20
स्थापित आधुनिक ब्लड बैंकों की संख्या	17
गृह मंत्रालय	
कंडोम वेंडिंग मशीनों की संख्या	246
पुलिस कर्मियों में बांटे गए कंडोमों की संख्या	270838
आईसीटीसी की संख्या	180
एचआईवी/एड्स पर आयोजित सत्रों द्वारा पहुंचे लोगों की संख्या	87,370
कोयला मंत्रालय	
कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी आनुषंगिक इकाइयों में आयोजित जागरूकता शिविरों की संख्या	146
आईसीटीसी केंद्रों की स्थापना	62
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
विभिन्न राज्यों में एचआईवी/एड्स से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	1,50,000

अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलनः मैक्सिको की यात्रा

सत्रहवें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में भारत ने अपने एड्स नियंत्रण लक्ष्य को प्रस्तुत किया

सभी जरूरतमंदों के लिये एड्स के इलाज और वैक्सीन तथा माइक्रोबिसाइड अनुसंधान के लिये वित्तीय सहायता में सुधार के आह्वान के बीच मैक्सिको शहर के "ऑडिटोरियो नेशिनल" में 3 से 8 अगस्त, 2008 के बीच सत्रहवां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनियाभर से लगभग 25000 विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, स्वयंसेवियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति के पश्चात संबद्ध विषयों पर प्रेरणादायक भाषण दिए गए। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत मैक्सिको के राष्ट्रपति फेलिप काल्डरन ने की, जिनके साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बेन की-मून भी मौजूद थे।

उद्घाटन समारोह की पूर्व-संध्या पर मैक्सिको शहर के मोनूमेंटो ला रेवूलूशियन में पूरी दुनिया से लगभग पांच हजार लोग गुब्बारे और बैनर लेकर इकट्ठा हुए। बैनर पर लिखा था- "हां हम कर सकते हैं"। इस दौरान विश्व स्तर पर कलंक, भेदभाव और होमोफोबिया के विरुद्ध मार्च किया गया, जिसमें महिलाएं, समलैंगिक पुरुष, ट्रांसजेंडर और सभी आयुवर्ग के स्त्री-पुरुष शामिल थे।

इस सम्मेलन में ग्यारह हजार से अधिक पर्चे (एब्सट्रैक्ट) आए, जिनमें से 7500 से अधिक पर्चे पढ़े गए। विचार-विमर्श के दौरान एचआईवी से बचाव एक बहुत ही सशक्त विषय-वस्तु के रूप में उभर कर आया, जिसमें "कॉम्बिनेशन प्रिवेन्शन" यानि की बचाव के सभी तरीकों के महत्त्व पर बल देते हुए इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई अकेली रामबाण औषधि नहीं है, जो एचआईवी/एड्स से बचाव में कारगर साबित हो सके। इसके लिए मिली-जुली योजनाओं के साथ-साथ परिवर्तित व्यवहार, बातचीत, यौन शिक्षा, कंडोम, माइक्रोबाइसाइड और प्रभाव-पूर्व रोग निरोधन (पीईपी) को अपनाना चाहिए। लातीनी अमेरिका और कैरेबियन देश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय के लगभग 29 प्रतिनिधियों ने मैक्सिको शहर में "शिक्षा के साथ बचाव" उद्घोषणा पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए, जिसमें घोषणा की गई थी कि वर्ष 2010 तक उनके देशों में लैंगिकता को सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से इस विषय पर अध्यापकों के कौशल को बढ़ाने की शपथ ली।

यौन कर्मियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान इस सम्मेलन में कुछ भावनात्मक पल भी देखने को मिले। अर्जेंटीना की एलीना रेनागा ने सेक्स वर्कर्स को पूरी और सही पहचान दिलाने के मुद्दे पर बोलते हुए हॉल में बैठे सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। सारा हॉल उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब एलीना ने कहा कि "हम समस्या नहीं समाधान हैं"। उसने बताया कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र, जहां सेक्स वर्कर्स के संगठनों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाती है और उनके काम को वास्तव में

एक "कार्य" के रूप में देखा जाता है, वहां एचआईवी का फैलाव कम हुआ है। इसके साथ ही सम्मेलन में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया कि सामाजिक बहिष्कार, अपराधीकरण, द्वेष, सामाजिक वैर और समलैंगिक पुरुषों के लिए एचआईवी से बचाव के कार्यक्रमों की कमी के कारण नए प्रकार के संक्रमण बढ़ रहे हैं। सम्मेलन के प्रतिभागियों ने एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरतों पर बल दिया। एक अनुमान के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के करीब 21 लाख बच्चे एचआईवी के साथ जी रहे हैं और उनमें से 90 प्रतिशत बच्चे उप-सहारा देशों में हैं। इस तरह के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करना और इनके परिवारों को सचेत करने की जरूरत को रेखांकित किया गया।

सम्मेलन में, अवरोधों के बावजूद एचआईवी/एड्स के लिये वैक्सीन पर शोध करने पर बल दिया गया। इसके उपचार संबंधी नई दवाओं के विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया। इनमें राल्टेग्रेविर एक नई श्रेणी की दवा है। इन दवाओं को इन्टिग्रज़ इनहिबिटर्स कहते हैं और इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, (यह वायरल लोड को कुछ हफ्तों की तुलना में कुछ दिनों में ही कम कर देती है)। सेल्जेंट्री, मुंह द्वारा ली जाने वाली अपने वर्ग की पहली निरोधक दवा; इट्रावायरिन, पहले से मौजूद दवाओं की श्रेणी में एक नई दवा (एनएनआरटीई); दारुनाविर, सही अर्थों में पहली रिज़िस्टेन्स प्रूफ दवा (वास्तव में प्रतिरोधक विषाणु के विरुद्ध यह बहुत सशक्त है); बेविरीमैट, अपने आप में बिल्कुल नए वर्ग की दवा, जिसे मेचुरेशन इनहिबिटर्स कहा जाता है (इसका बहुत कम दुष्प्रभाव देखने को मिलता है); और रिटोनेविर का एक नया नमूना, जिसे रेफ्रीजरेशन पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शामिल हैं।

इस सम्मेलन में "द लैंसेट सिरीज" के एचआईवी से बचाव सत्र के दौरान भारत के आईसीटीसी कार्यक्रम को विश्व के सबसे प्रभावशाली और कम खर्चीले कार्यक्रमों के रूप में सराहा गया। सम्मेलन में भारत से 19 पर्चे, 18 पोस्टरों पर आधारित बातचीत और 411 पोस्टर प्रदर्शन शामिल किए गए।

यूएनडीपी रेड रिबन अवार्ड

एचआईवी/एड्स के प्रभाव को कम करने के कार्य में संलग्न विशिष्ट सामुदायिक संगठनों को इस अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में रेड रिबन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 147 देशों से 550 नामांकन प्राप्त हुए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में भारत की संस्था "संघमित्रा" शामिल थी, जिसने महिला एवं बालिका सशक्तीकरण और लैंगिक असमानता कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपचार, देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए ईरान के माशहद पॉजीटिव क्लब को; मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिको के फोर्टालेसिंडो ल डाइवर्सिडाड को; रोकथाम कार्यक्रम के लिये घाना के सेंटर फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स को; और अनाथ बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मलावी के कन्सोल होम्स को रेड रिबन अवार्ड दिया गया।

सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की अगुआई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास ने की। भारत सत्र में 300 से ऊपर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ रामदास ने कहा कि "एचआईवी-रोकथाम के कार्य पर भारत ने जो ध्यान केंद्रित किया, उसके लाभ नजर आने लगे हैं। भारत में अब हमें एचआईवी महामारी में ठहराव नजर आने लगा है।" उन्होंने आगे कहा कि "अगर हम अपने देश में एड्स से बचाव, देखभाल और उसके उपचार के कार्यक्रमों में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें एचआईवी से असुरक्षित लोगों, जैसे कि सेक्स वर्कर्स और एमएसएम के प्रति भेदभाव को मिटाना होगा।" डॉ रामदास ने विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का जिक्र किया, जिसमें पुरुषों के समलैंगिक संबंधों को अपराध बताया गया है और कहा कि, उसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। नाको की महानिदेशिका सुश्री के. सुजाता राव ने कहा कि यह आत्म संतोष का समय नहीं है, प्रवासी जनसंख्या में बढ़ते एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है।

■ मयंक अग्रवाल
संयुक्त निदेशक (आईईसी), नाको

गांवों के अंचल में

ग्रामीण असुरक्षित समूहों तक पहुंच के लिए 'लिंक वर्कर्स स्कीम'

अति-जोखिम वाली आबादी से संवाद कायम करने के मकसद से एनएसीपी-III के तहत 'लिंक वर्कर्स स्कीम' नामक नई योजना का प्रावधान है। लिंक वर्कर्स का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक नजरअंदाज रही अति जोखिम वाली और सेतु आबादी (ब्रिज पॉपुलेशन यानि कि प्रवासी और ट्रक चालक) तक पहुंचना है। ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में ऐसे समूहों तक एड्स से संबंधित सूचनाएं, सुविधाएं और सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पातीं।

'लिंक वर्कर्स स्कीम' का मकसद जिलों के सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की जोखिम वाली आबादी तक सुविधाएं पहुंचाना है। इसके तहत निम्नलिखित समूहों तक पहुंच की उम्मीद है:

- महिला यौन कर्मी और उनके ग्राहक
- समलैंगिक पुरुष
- इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेने वाले
- असुरक्षित युवा आबादी

असुरक्षित लोग प्रथम तीन समूहों से हो सकते हैं या प्रवासी, घुमंतू आबादी और आईडीयू के पार्टनर हो सकते हैं। एचआईवी से संक्रमित और प्रभावित वे लोग भी असुरक्षित हो सकते हैं जो कलंक झेल रहे हैं। 'लिंक वर्कर्स स्कीम' इन सभी वर्गों के बीच काम करेगी।

'लिंक वर्कर्स स्कीम' के तहत ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष दोनों तरह के कार्यकर्ता होंगे जो मानवीय संबंधों और यौन और यौनिकता संबंधी गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे और महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे अति-जोखिम वाले लोगों, असुरक्षित युवाओं की मदद करेंगे।

यह योजना पंचायत और जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा होगी। 'लिंक वर्कर्स स्कीम' के तहत ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष दोनों तरह के कार्यकर्ता होंगे जो मानवीय संबंधों और यौन और यौनिकता के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे और महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे अति-जोखिम वाले लोगों, असुरक्षित युवाओं की मदद करेंगे।

इस योजना के लिये यूएनडीपी, यूएसएड, यूनीसेफ, सीडीसी और जीएफएटीएम-7 धन उपलब्ध करा रहे हैं। इसका क्रियान्वयन नाको की वेबसाइट पर उपलब्ध नियम एवं शर्तों के तहत स्वयंसेवी संगठनों की मदद से किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस योजना का प्रथम चरण शुरू हो रहा है।

■ डॉ पायल साहू
तकनीकी अधिकारी (टीआई/एलएसडब्ल्यूएस)
नाको

उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक सेवा

नायकों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। दो राष्ट्रीय नायक, पहलवान सुशील कुमार और मुक्केबाज विजेन्द्र सिंह, जिन्होंने बीजिंग ओलिंपिक, 2008 में भारत को कांस्य पदक दिलाये, उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान में हिस्सा लिया। पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सुशील कुमार और विजेन्द्र सिंह ने स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान करते हुए टीवी और रेडियो स्पाट में कार्य किया। टीवी और रेडियो पर उनके संदेश प्रसारित किए गए, जिससे दूरदराज के लोगों को काफी प्रेरणा मिली।

■ राजेश राणा
तकनीकी अधिकारी (आईईसी)
नाको

भारतीय दंड संहिता की धारा 377

एमएसएम समूहों के बीच लक्षित हस्तक्षेप कैसे कानून द्वारा बाधित होते हैं

मैक्सिको सिटी में अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ अंबुमणि रामदास ने भारत में समलैंगिकता के अपराधीकरण को खत्म करने की जोरदार अपील की। विक्टोरिया काल में बना यह कानून जो कि ब्रिटेन में समाप्त किया जा चुका है, भारत में आज भी लागू है। डॉ अंबुमणि रामदास ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसी पुरुष के अन्य पुरुष से यौन संबंध रखने (एमएसएम) को अपराध करार देती है, उसे समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने इस कानून को एमएसएम समूहों तक एड्स संबंधी सेवाएं पहुंचाने में बाधा के रूप में देखा।

अनुमान है कि भारत में करीब 25 लाख एमएसएम हैं। इनमें से करीब एक लाख को एचआईवी संक्रमण का अधिक जोखिम है और इनमें से करीब 15 प्रतिशत एचआईवी की गिरफ्त में हैं। डॉ रामदास ने स्पष्ट कहा कि "एमएसएम हमारे लिए मुख्य रूप से चिंता का विषय हैं। इस समूह के भीतर महामारी को रोकना है। इसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन (टीआई) यानि लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेपों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसी पुरुष के अन्य पुरुष से यौन संबंध रखने (एमएसएम) को अपराध करार देती है।

कभी-कभी हैरानी होती है कि भारत में एमएसएम समूहों और उनकी संख्या के बारे में कितनी कम जानकारी (देखें बॉक्स) उपलब्ध है। इस वक्त 14 राज्यों में एमएसएम के लिए 94 समुदाय-आधारित संगठन हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है।

नाको के लक्षित हस्तक्षेप का विशेष जोर अति जोखिम वाले समूहों (एचआरजी), खासकर एमएसएम पर है। एमएसएम के जरिए दूसरे समूहों में एचआईवी के फैलने का कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा व्यवहारगत निगरानी सर्वेक्षण (बीएसएस) -2006 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 31 प्रतिशत एमएसएम ने स्वीकार किया कि सर्वेक्षण से छह महीने पहले तक उनका एक महिला से यौन संबंध रहा है। महिला साझेदारों की औसत संख्या 2.4 थी। कुछ राज्यों

(शेष अगले पृष्ठ पर)

एमएसएम आबादी को समझना

एमएसएम और ट्रांसजेंडर (टीजी) यानी हिजड़े अति-जोखिम वाले समूह हैं, जिनमें एचआईवी से असुरक्षा का बहुत अधिक खतरा है। हालांकि यह ध्यान देने की बात है कि हर एमएसएम एक जैसा असुरक्षित नहीं है और न सभी के एक से अधिक के साथ यौन संबंध हैं। एमएसएम उप-समूहों के वे लोग गुदा मैथुन में संलग्न हैं, एचआईवी संक्रमण की दृष्टि से अधिक असुरक्षित है।

टीजी समूहों के सदस्यों के बहु-साझेदारी वाले और गुदा मैथुन दोनों तरह के संबंध होते हैं। इससे उनमें असुरक्षा बढ़ती है।

एमएसएम में कई उप-समूह हैं। टीआई के मकसद से इन समूहों को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है:

- कोठीः यह शब्द उन पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद को महिला के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं (शायद यह कई बार परिस्थितिवश होता हो), ये दूसरे पुरुषों के साथ संबंधों के समय महिला की भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से - हालांकि जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो - पुरुषों के साथ गुदा/मुख मैथुन करते हैं।
- पंथीः इस शब्द का इस्तेमाल कोठी और हिजड़ा उन पुरुषों के लिए करते हैं जो उनके साथ संबंधों में पुरूष की तरह सहभागी हो सकते हैं। इसके समतुल्य शब्द हैं- गाडियो (गुजरात), पारिख (पश्चिम बंगाल) और गिरिया (दिल्ली)।
- डबल डेकरः कोठी और हिजड़ा में डबल डेकर वे पुरुष कहलाते हैं जो संभोग (गुदा या मुख) के वक्त महिला और पुरुष दोनों जैसी गतिविधियों का निर्वाह कर सकते हैं। इसके समतुल्य शब्द हैं डबल, डुप्ली कोठी (पश्चिम बंगाल) और दो पराठा (महाराष्ट्र)।
- हिजड़ाः हिजड़ा एक खास तरह के सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक समूह का नाम है, जो "तृतीय लिंग" के रूप में जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से महिलाओं का परिधान धारण करते हैं और सात घरानों में विभक्त हैं।

कंडोम कॉलिंग

एक ऐसी रिंगटोन जो आपसे सुरक्षा की अपील करती है

यह प्रयास दूसरे प्रयासों से हट कर है और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। नाको और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से कंडोम को प्रोत्साहन देने वाला एक अलग तरह का एचआईवी निरोधक कार्यक्रम शुरू किया। यह मोबाइल फोन पर बजने वाली एक रिंगटोन है जिसका रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन दिया गया और जिसे 5676787 पर टेक्स्ट मैसेज भेज कर या www.condomcondom.org से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। जब भी कोई फोन आता है, यह संदेश आपके फोन पर हर समय बजता रहता है।

यह मोबाइल फोन पर बजने वाली एक रिंगटोन है, जिसे 5676787 पर टेक्स्ट मैसेज भेज कर या www.condomcondom.org से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। जब भी कोई फोन आता है, कंडोम द्वारा सुरक्षा का संदेश आपके फोन पर बजने लगता है।

कंडोम विषय पर आधारित इस रिंगटोन को दो दिन के भीतर 15,000 लोगों ने डाउनलोड किया। सितंबर के अंत तक, इस रिंगटोन के जारी होने के एक महीने के भीतर 3,90,000 लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेज कर डाउनलोड किया। 132,000 लोगों ने वेबसाइट से यह टोन डाउनलोड की। यहां तक कि वेबसाइट को 35 लाख लोगों ने देखा।

रिंगटोन के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं और श्रोताओ ने महसूस किया कि कंडोम विषयक यह रिंगटोन बहुत मनोरंजक और बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। एक 40 वर्षीय पिता ने कहा कि उसके लिए यह रिंगटोन अपनी किशोरवय बेटी से सेक्स और कंडोम के बारे में बातचीत की शुरुआत करने के लिए एक माध्यम साबित हुई। इसे लेकर मीडिया में व्यापक कवरेज मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख पृष्ठ से लेकर इकोनॉमिस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल पब्लिक रेडियो पर कंडोम विषयक रिंगटोन को बड़ी खबर के रूप में प्रकाशित-प्रसारित किया गया।

■ राजेश राणा
तकनीकी अधिकारी (आईईसी), नाको

(पेज 11 का शेष)

भारतीय दंड संहिता...

में यह संबंध काफी गहरा निकला। आंध्रप्रदेश में 65 प्रतिशत एमएसएम महिलाओं के साथ संबंध बना चुके हैं। मुंबई के अध्ययन बताते हैं कि वहां 18 प्रतिशत एमएसएम के एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं।

इनमें से कुछ एमएसएम अधिक जोखिम की स्थिति में हैं। अति-जोखिम वाले एमएसएम/ट्रांसजेंडर नाको के एचआरजी के लिए चलाए जा रहे कार्क्रम की नजर में हैं। मालिश करने वालों से लेकर ट्रक ड्राइवरों तक, फिल्म एक्स्ट्रा से लेकर जिम असिस्टेंट तक भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक आधार पर एमएसएम की पहचान की गई है। एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में काम करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रोकथाम कार्यक्रम के तहत सामाजिक ढांचे के भीतर एमएसएम की पहचान करना सबसे कठिन काम हो सकता है।

इसमें कुछ कानूनी बाधाएं भी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जोकि 19वीं शताब्दी में बनी थी, इसके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है "जिसके प्रकृति के विरुद्ध अगर किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ यौन संबंध हों।" इसके अलावा दूसरे कानून भी एमएसएम और हिजड़ों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में बाधक साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, नाट्य प्रस्तुति अधिनियम 1876 की धारा 292 और कस्टम एक्ट, 1962 के तहत यौन शिक्षा (सेक्स एजुकेशन) से संबंधित सामग्री के प्रकाशन या उसके आयात को "अश्लील" करार दिया जा सकता है।

घुमंतू-विरोधी कानून और स्थानीय पुलिस अधिनियम, सार्वजनिक उपद्रव अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धारा 268 के तहत भी एमएसएम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

प्रीवेंशन ऑफ इम्मॉरल ट्रैफिकिंग अधिनियम 1986 का इस्तेमाल प्रायः महिलाओं के खिलाफ किया जाता है, मगर इसका उपयोग पुरुष यौन कर्मी (सेक्स वर्कर) और हिजड़ों के खिलाफ भी किया जा सकता है।

■ आदित्य सिंह
तकनीकी अधिकारी (टीआई)
नाको

युवा भारत के लिए प्रोटोकॉल

संशोधित किशोर शिक्षा कार्यक्रम संबंधी टूलकिट पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक

29 जुलाई, 2008 को इंडिया हैबिटाट सेंटर, नई दिल्ली में सुश्री के. सुजाता राव, डीजी, नाको की अध्यक्षता में किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) के क्रियान्वयन पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई।

बैठक की शुरुआत में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नाको के संयुक्त सचिव श्री प्रवीर कृष्ण ने संशोधित टूलकिट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए वर्तमान अकादमिक सत्र में इसकी जरूरत और कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बल दिया।

एईपी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है क्योंकि एचआईवी के एक-तिहाई मामले 29 वर्ष से कम उम्र के लोगों में पाये जा रहे हैं। नेशनल टूलकिट रिव्यू कमेटी के सदस्यों- इसकी उपसमिति में शामिल एकेडमीशियनों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, शिक्षाविदों

एईपी पर राष्ट्रीय परामर्श

एईपी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है क्योंकि एचआईवी के एक-तिहाई मामले 29 वर्ष से कम उम्र के लोगों में पाये जा रहे हैं।

संचार विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीबीएसई के प्रतिनिधियों ने इसके महत्त्व पर बल दिया। रिव्यू कमेटी के सदस्यों ने एईपी संशोधित टूलकिट में अपनाई गई शुरू से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बताया कि संशोधन में किन संबंधित बिंदुओं को समाहित किया गया और अभी किस प्रकार के कदम उठाए जाने की गुंजाइश है।

नाको द्वारा तैयार किये गये संशोधित प्रोटोटाइप टूलकिट के बारे में सुश्री राव ने स्पष्ट प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने इस टूलकिट की विषय-वस्तु, डिजाइन, रेखांकन आदि के इस्तेमाल संबंधी सभी मामलों में राज्यों के स्तर पर व्यापक रूप से परामर्श की जरूरत पर बल दिया। राज्यों के शिक्षा विभागों को स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक नेताओं, अध्यापकों, अभिभावकों, नीति नियामकों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, संचार विशेषज्ञों आदि के सहयोग से तत्काल इस परामर्श प्रक्रिया को शुरू कर देने की जरूरत है।

ज्यादातर राज्यों ने संशोधित टूलकिट के बारे में अपनी राय जाहिर कर दी और उन्होंने स्वीकार किया है कि विषय-वस्तु और डिजाइन के स्तर पर यह बेहतरीन है और वे अपने राज्यों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामूली परिवर्तन के साथ इसे अपनाएंगे। उनको परामर्श आयोजित करने और विषय-वस्तु को अंतिम रूप देने के लिये कार्यशालाओं और मीडिया ब्रीफिंग करने के लिये कहा गया। पिछले अनुभव का उल्लेख करते हुये उन्हें कहा गया कि इसके क्रियान्वयन में आई बाधाओं को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है, इसलिए उनसे बचने की जरूरत है।

सुश्री राव ने विशेष रूप से एससीईआरटी और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों से कहा कि वे कक्षा में विद्यार्थियों के बीच विषय-वस्तु को प्रस्तुत कर उनके विचार संकलित करें। इसमें जीवन कौशल शिक्षा के अध्यापकों के जल्दी-जल्दी तबादले होने और विद्यार्थियों को पढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को भी रेखांकित किया गया।

■ बिलाल नकाती
तकनीकी अधिकारी (आईईसी एवं मेनस्ट्रीमिंग), नाको

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

दिल्ली में 9-12 सितंबर को एईपी के तहत "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" नाम से एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मकसद प्रतिभागियों में एईपी और जीवन कौशल शिक्षा के मामले में समुचित जानकारी उपलब्ध कराना और उनमें क्षमता विकसित करना था।

उत्तर भारत के पांच राज्यों- उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से आए प्रतिभागियों को एईपी के उद्देश्यों और तर्कों से परिचित कराया गया और संशोधित टूलकिट पर बातचीत की गई, उन्हें एचआईवी/एड्स की बुनियादी बातों से परिचित कराते हुए युवाओं को परामर्श और जांच सुविधाओं के प्रति उत्साहित करने में राज्य और जिला रिसोर्स पर्सन की भूमिका के बारे में बताया गया।

बैठक में इन राज्यों के शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि के रूप में 33 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अध्यापक, अभिभावक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें भीतरी और बाहरी रिसोर्स पर्सन ने संशोधित एईपी मॉड्यूल पर बातचीत की, लिंग, यौनिकता और मूल्य, किशोरावस्था में गर्भधारण, एचआईवी/एड्स के बारे में भ्रांतियां और जीवन कौशल जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार प्रकट किए गये।

युवाओं में व्याप्त नशे की समस्या जैसे मुद्दों पर इस कार्यशाला में दृढ़तापूर्वक बातचीत हुई। शैक्षिक प्रोटोकॉल और दुविधाओं से जुड़े मुद्दों को इंटरेक्टिव गेम और सवाल-जवाब के सत्र में उठाया गया। प्रतिभागियों से टूलकिट को अंगीकार करने, इसे प्रासंगिक बनाने और अंतिम रूप देने में मुख्य विषय-वस्तु के साथ बगैर कोई समझौता किए सहयोग की गुजारिश की गयी।

उम्मीद का मानचित्रण

एचआरजी द्वारा एचआरजी की संख्या का आकलन

अति-जोखिम वाले समूहों की संख्या कितनी बड़ी है? इनकी संख्या की वास्तविक जानकारी के अभाव में इन समूहों की समस्याओं के निदान की रूपरेखा तैयार करने में एनएसीपी-III को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर, नाको ने सत्रह राज्यों—असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश—में पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (एमएसएम), महिला यौन कर्मियों (एफएसडब्ल्यू) और इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेने वाले (आईडीयू) और अति-जोखिम वाले समूहों और प्रवासियों की पहचान के लिए एक अभियान शुरू किया है।

इस अभ्यास का मकसद राज्यों और जिलों में उन अति-जोखिम वाले समूहों की पहचान और उन तक पहुंच सुनिश्चित

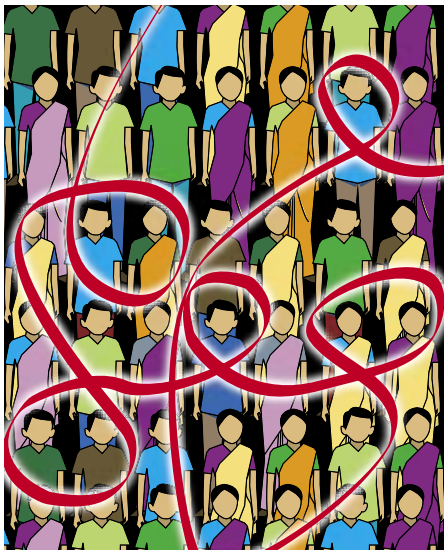

कराना है जो असुरक्षित अवस्था में हैं और जिन्हें लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत है। इसमें वर्गों के आधार पर एचआरजी के आकार की गणना की जाएगी। उन स्थानों को चिह्नित करना, जहां एचआईवी के खतरों से संबंधित गतिविधियां चल रही हों, इसका उद्देश्य है।

एचआरजी का यह नक्शा तैयार करना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों की पहचान करना जहां एचआरजी जाते हैं और उन स्थानों पर एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस समूह के लोगों तक पहुंचना इस आकलन प्रक्रिया में शामिल है। इस अभ्यास के क्रियान्वन में अति जोखिम समूहों को शामिल करने से उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। यह एचआरजी को लंबे समय तक सक्षम और सचल बनाने का बेहतरीन तरीका है।

मानचित्रण (मैपिंग) का काम अक्तूबर 2008 तक 17 राज्यों में पूरा होना है। इसके बाद राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में एकत्रित किए गये कच्चे आंकड़ों का अध्ययन किया जायेगा। इस अभ्यास से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

■ श्वेता भारद्वाज
सीनियर तकनीकी अधिकारी (टीआई), नाको

संचार द्वारा नियंत्रण

केरल में सूचना एवं प्रसारण कर्मचारी एचआईवी/एड्स के मैदान में आमंत्रित किए गए

केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 2 और 3 सितंबर को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों से जुड़े वरिष्ठ मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया। तिरुअनंतपुरम में आयोजित इस कार्यशाला में केरल के विभिन्न स्थानों पर पदस्थ इन अधिकारियों को आमंत्रित करने का मकसद था कि एनएसीपी-III को आगे बढ़ाने में वे अपने दैनिक क्रियाकलापों में किस तरह सहयोग कर सकते हैं।

इस कार्यशाला का एक ही सामान्य तर्क था- एचआईवी/एड्स नियंत्रण में संचार की भूमिका काफी अहम है। केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का मकसद है सूचना एवं प्रसारण की क्षमताओं और इसके उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से एनएसीपी-III को आगे बढ़ाना। इस कार्यशाला में केरल राज्य एड्स नियंत्रण

केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का मकसद है सूचना एवं प्रसारण की क्षमताओं और इसके उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से एनएसीपी-III को आगे बढ़ाना। इस कार्यशाला में केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच विषय-वस्तु और स्थितियों पर आधारित सहभागिता भी विकसित हुई।

सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच विषय-वस्तु और स्थितियों पर आधारित सहभागिता भी विकसित हुई।

कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना ब्यूरो, फिल्म डिविजन, दूरदर्शन, योजना और आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) से 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये सभी एजेंसियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती हैं। इस कार्यशाला में विचार व्यक्त करने वाले सभी लोगों ने स्वीकार किया कि प्रभावशाली योजना के जरिये सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में आवश्यक और बेहतर संचार से काफी मदद मिल सकती है।

■ एसएसीएस इनपुट

ईश्वर के अपने देश में

केरल में 12 दिन रेड रिबन एक्सप्रेस

भारत के शायद सबसे सुरम्य और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर प्रदेश में बारह दिन तक रहना सचमुच एक आनंददायक अनुभव है। इसलिए आशाओं और आकांक्षाओं के साथ रेड रिबन एक्सप्रेस (आरआरई) के पहियों ने 28 जून को केरल में प्रवेश किया, अपने सुपरिचित मिश्रित संदेशों – एचआईवी/एड्स की रोकथाम और देखभाल वाले संदेशों – की प्रदर्शनी के साथ।

तिरुअनंतपुरम से शुरू होकर 12 दिन बाद, 9 जुलाई को कोझिकोड में खत्म हुए आरआरई के इस सफर में केरल के आंतरिक हिस्सों में एड्स से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने में कामयाबी हासिल हुई। अपने इस पूरे सफर में ट्रेन को आम लोगों का उत्साहजनक समर्थन और स्वागत प्राप्त हुआ, जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

आरआरई ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से होते हुए केरल में प्रवेश किया, और तिरुअनंतपुरम के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इसका भव्य स्वागत किया गया।

केरल के कानून मंत्री श्री एम. विजय कुमार ने पावर हाउस टर्मिनल पर आयोजित स्वागत समारोह की अध्यक्षता की थी। उनको अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सात डिब्बों वाली इस ट्रेन के बारे में बताया गया। इस ट्रेन के विशेष डिब्बों में एचआईवी/एड्स से संबंधित सामग्री, परामर्श और चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध थीं।

यह राज्य अपनी झीलों और जलाशयों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। आरआरई दस्ता जब अलापुझा के पानी से घिरे कुट्टानद इलाके में पहुंचा तो उसने साइकिल और बसों के बजाय नाव से सफर किया। आरआरई मिशनरियों ने रेलवे लाइनों और बसों के जरिये देश के लगभग हर हिस्से का सफर किया है, मगर उनके लिए जलमार्ग से सफर करना एक रोमांचक अनुभव रहा। इस तरह एचआईवी/एड्स अभियान में एक नई धारा जुड़ गई।

छह सांस्कृतिक दल स्थानीय सांस्कृतिक मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए साइकिलों पर सवार होकर स्टेशन के बाहर के इलाके में एचआईवी/एड्स से संबंधित संदेशों का प्रचार कर रहे थे। संगीत एवं नाटक प्रभाग के दो दल बसों में सवार होकर गांव-गांव तक घूमते हुए कार्यक्रम पेश कर रहे थे। इनके कार्क्रमों में एड्स से संबंधित संदेश थे।

तिरुअनंतपुरम से चल कर आरआरई ने कोल्लम, अलापुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, शोरानपुर और कोझिकोड का सफर तय किया। अंत में 9 जुलाई को राज्य से बाहर निकल कर इस ट्रेन ने पुनः तमिलनाडु के कोयंबटूर में प्रवेश किया। इस यात्रा में कुल 51,604 लोगों ने इस ट्रेन को देखा, जिसमें से दो दिनों में कोझिकोड में सबसे अधिक 13,413 लोगों ने इसे देखा।

इस यात्रा में आआरई के भीतर 42 सत्रों में 2,500 लोगों ने एचआईवी/एड्स पर प्रशिक्षण लिया। इनमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा सरकारी विभागों के लोग भी शामिल थे। प्रशिक्षण लेने वालों में युवा और महिलाएं भी समान रूप से शामिल हुए।

रेलगाड़ी के भीतर एचआईवी/एड्स से संबंधित संदेश दिये गये और साइकिल और बस कारवां के जरिए कलाकारों ने गांव-गांव तक पहुंच कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन संदेशों का प्रसार किया। इस तरह 230,000 लोगों तक एचआईवी रोकथाम संबंधी विभिन्न संदेश सीधे पहुंचाए जा सके।

हमेशा की तरह यहां भी आरआरई राज्य से संबंधित कुछ खास तरह के अभिनव प्रयोग लेकर पहुंची। जैसाकि राज्य अपनी झीलों और जलाशयों के लिए दुनिया भर में विख्यात है, आरआरई दस्ता जब अलापुझा के पानी से घिरे कुट्टानद इलाके में पहुंचा तो उसने साइकिल और बसों के बजाय नाव से सफर किया। आरआरई मिशनरियों ने रेलवे लाइनों और बसों के जरिए देश के लगभग हर हिस्से का सफर किया है, मगर उनके लिए जलमार्ग से सफर करना एक रोमांचक अनुभव रहा। इस तरह एचआईवी/एड्स अभियान में एक नई धारा जुड़ गई।

■ बिलाल नकाती
तकनीकी अधिकारी (आईईसी एवं मेनस्ट्रीमिंग), नाको

सकारात्मक सहयोग

जीएसएन+ की सफल कहानी की चित्रात्मक प्रस्तुति

निराश लौटते हुए

मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता और मेरी पत्नी और बेटे का भी टेस्ट कराना है। अगर सारा पैसा मैंने टेस्ट पर खर्च कर दिया तो खाएंगे क्या? और अटेंडेंट सही कह रहा था कि आखिरकार हमें तो मरना ही है।

मीटिंग चल रही है। दक्षाबेन खड़ी हुईं और बोलना शुरू किया

आप सब इस बात से परिचित हैं कि हमारे शरीर के भीतर पल रहे वायरस की वजह से हमें कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

एचआईवी प्रभावित बच्चे को शिक्षा से महरूम कर दिया जाता है।

एड्स के मरीजों की विधवाओं को उनके ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं।

हम सभी अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें बदली हैं और बेहतर हुई हैं, और मैं आपको कुछ जगहों पर ले जाना चाहती हूं और आशा और हिम्मत के कुछ उदाहरण दिखाना चाहती हूं, जिनसे हमने उपलब्धियां हासिल की हैं।

होप प्रोजेक्ट के तहत रिलायंस लेडीज क्लब हर महीने 70 संक्रमित और प्रभावित बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराता है।

प्रोजेक्ट जतन

प्रोजेक्ट जतन तीन महीने के भीतर 184 पॉजीटिव बच्चों की पहचान कर चुका है और उनमें से 160 के नाम एआरटी सेंटर में दर्ज कराए जा चुके हैं।

सूरत नगर पालिका ने एसएमआईएमईआर अस्पताल में दो कमरे उपलब्ध कराए हैं, जहां जीएसएन+ का ड्रॉप-इन सेंटर चला रहा है।

हम ऐसा नहीं चलने दे सकते। हमें लोगों के नज़रिए को बदलने के लिए काम करना होगा, जिस तरह वे एचआईवी प्रभावित लोगों को देखते हैं।

एचआईवी का संक्रमण संपर्क से और आपसी बातचीत से नहीं होता। वे प्रेम का संदेश देते हैं और हम सब इसे समझ पाएंगे।

स्केलिंग अप द नेशनल रिस्पांस

स्केलिंग अप द नेशनल रिस्पॉन्स नामक पैम्फलेट नाको का ताजा प्रकाशन है। इसमें एआईवी महामारी के उभरते रुझानों, एनएसीपी-III की चार स्तरीय रणनीति, उद्देश्यों, मेनस्ट्रीमिंग और विकेंद्रीकरण को दर्शाया गया है। रोकथाम की रणनीति, देखभाल, सहयोग और इलाज, क्षमता विकास और रणनीतिक सूचना प्रबंधन द्वारा एचआईवी महामारी से पार पाया जा सकता है। लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए अति जोखिम वाले समूहों और सामान्य आबादी में नए संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। नाको की रणनीतियों को 38 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से लागू किया जा चुका है। इसके अलावा 200 उच्च व्याप्तता वाले जिलों में नाको जिला एड्स नियंत्रण इकाइयां स्थापित कर रहा है।

अगले पांच सालों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए एचआईवी महामारी को रोका और इसकी दिशा को बदला जा सकेगा।

स्वस्थ जीवन की राह पर

"सम टिप्स फॉर योर गुड हेल्थ" एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों (पीएलएचए) के लिए एक प्रकार की समय सारिणी है। इसके माध्यम से इन लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि वे एआरटी की खुराक समय से लें, साफ भोजन करें और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें। इसके पिछले पृष्ठ पर दो कॉलम में रात और दिन की खुराक का कैलेंडर दिया गया है जिसे एआरटी ले रहे लोगों को भरना है। यह दो भाषाओं - हिंदी और अंग्रेजी - में उपलब्ध है।

साझा प्रयास

वासव्य महिला मंडली (वीएमएम) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से नाको ने बालचिकित्सकीय एआरटी परामर्श प्रशिक्षण मॉड्यूलः प्रतिभागी मैनुअल और फेसिलिटेटर गाइड का विकास किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल परामर्शदाताओं और दूसरे देखभालकर्ताओं को बालचिकित्सा संबंधी परामर्श सत्र के दौरान जरूरत पड़ने वाली जानकारियां उपलब्ध कराता है और उन्हें बाल-मित्र तकनीकों से अवगत कराता है। ये मॉड्यूल एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे बच्चों (सीएलएचए) के साथ काम करने वाले परामर्शदाताओं में क्षमता विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। नाको बालचिकित्सकीय एआरटी परामर्श प्रशिक्षण मॉड्यूल में बाल चिकित्सा एवं 12 साल तक की उम्र के बच्चों के पालन-पोषण संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। यह सामग्री पाठ्यक्रम निदेशकों और फेसिलिटेटर दोनों को संयुक्त रूप से प्रभावी प्रशिक्षण में मदद करती है।

कुछ लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेप

नाको उच्च जोखिम वाले समूहों और उनके साझेदारों तक पहुंच कायम करने के लिए हमेशा से लक्षित हस्तक्षेप (टीआई) के प्रति सजग रहा है। "लक्षित हस्तक्षेप" नाम का ब्रोशर इसी की देन है। महिला सेक्स वर्कर, पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष और सुई के जरिए नशीली दवाएं लेने वाले और उनके साझेदार और ग्राहक जैसे ट्रक चालक और प्रवासी अति जोखिम वाले समूह में आते हैं और एचआईवी के मामले में विशेषकर असुरक्षित हैं। इसलिए टीआई के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इन समूहों तक किसी भी कीमत पर पहुंच कायम की जाए, क्योंकि इन समूहों पर सामाजिक लांछन और अपराधीकरण का गहरा मानसिक बोझ होता है, जिसकी वजह से ये अलग-थलग और रोकथाम संबंधी सेवाओं से दूर पड़ जाते हैं और इनमें एचआईवी के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को सामुदायिक जागरूकता और इनमें व्यवहारगत बदलावों के लिए हस्तक्षेप के जरिए सक्षमता लाने संबंधी माहौल तैयार करने की सख्त जरूरत है।

मेरा एआरटी कैलेंडर

नाको ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से "मेरा एआरटी कैलेंडर" पुस्तिका तैयार की है। यह मुख्य रूप से उन एचआईवी पॉजीटिव बच्चों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है जिनकी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) चल रही है। यह कैलेंडर ऐसे बच्चों को एआरटी लेने में मदद करता है। यह महीनों के नाम पर 12 पृष्ठों में विभक्त है। इसमें परामर्शदाताओं, अभिभावकों, देखभाल कर्ताओं और बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए एचआईवी पॉजीटिव बच्चों को समय से अपनी खुराक लेने संबंधी सूचनाएं तैयार की गई हैं। इसमें बॉक्स दिए गए हैं, जिनमें सुबह और शाम को दवा की खुराक लेने के बाद बच्चे रंग भर सकते हैं। यह छह भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध है।

आपके साथ हमेशा

"कुछ जरूरी सूचनाएं" नामक यह पुस्तिका एचआईवी पॉजीटिव लोगों के लिए स्वस्थ जीवन यापन संबंधी मुकम्मल सूचनाएं उपलब्ध कराती है। यह इस संदेश के साथ तैयार की गई है कि "आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।" यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इनमें एचआईवी संक्रमित लोगों के लिए सभी जरूरी सूचनाएं दर्ज हैं। इसमें जरूरी सावधानियों, एचआईवी और एड्स का अर्थ, किस तरह एचआईवी से दूसरों को बचाएं, एआरटी और इसके इस्तेमाल का अर्थ, संक्रमित लोगों की स्वच्छता, रहनसहन, पोषक आहार की जरूरत, स्वच्छ पेय जल, गोपनीयता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, रोजगार का अधिकार से संबंधित अनेक जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

आईईसी से संबंधित सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सह निदेशक (आईईसी), नाको

आरआरई का 8 सितंबर, 2008 तक का तय सफर

परामर्श प्राप्त करने वालों की संख्या

लोगों तक पहुंच (4913467)

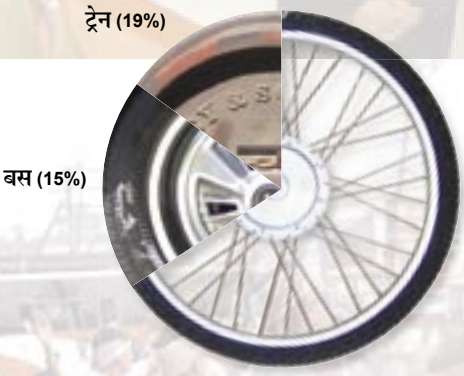

पहुंच वाले जिलों की संख्या

आयोजित किए गए कुल प्रशिक्षणों की संख्या

984 (प्रतिभागी - 53602)

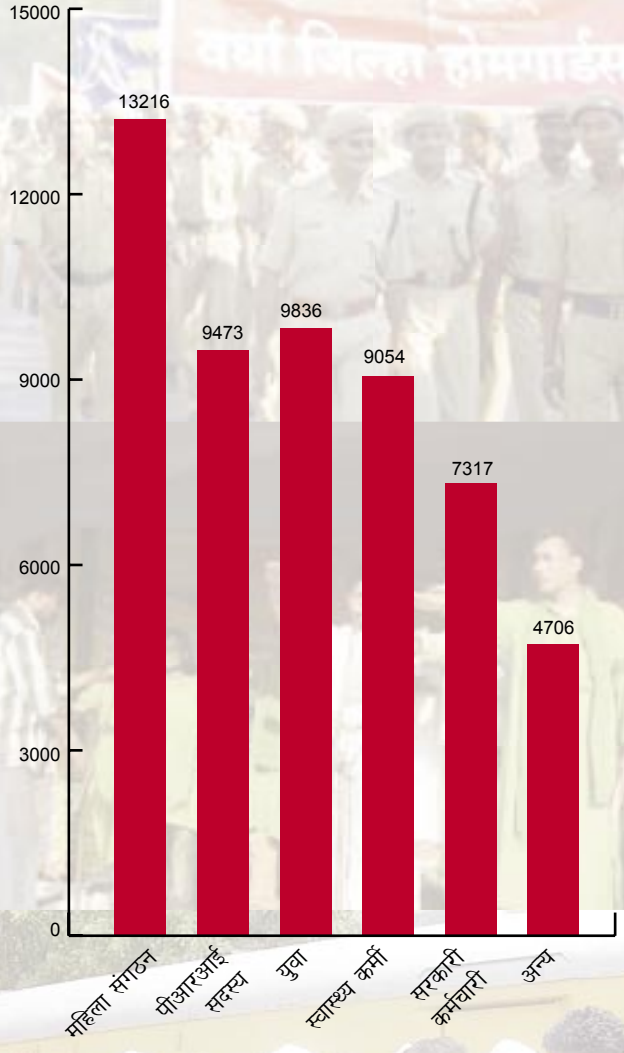

मुख्य संपादक
प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

संपादन प्रमुख: मयंक अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (आईईसी)
संपादक–मंडल: डॉ डी. बचानी, उप महानिदेशक (सीएसएंडटी), डॉ एम. शौकत, सहायक महानिदेशक (बीएस), डॉ ए.के. खेरा, सहायक महानिदेशक (बीएसडी), डॉ वेंकटेश, सहायक महानिदेशक (आरएंडडी व एमएंडई), डॉ संध्या काबरा, सहायक महानिदेशक (लेब सर्विसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस), श्री एम.एल. सोनी, अवर सचिव (आईईसी), श्री प्रदीप सरकार, तकनीकी अधिकारी और श्री राजेश राणा, तकनीकी अधिकारी (आईईसी)।

नाको समाचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पत्रिका है।
नवीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001. टेलि: 011–23325343; फैक्स: 011–23731746, www.nacoonline.org.
संकलन, रूपांकन और मुद्रण – न्यू कान्सेप्ट इंफोरमेशन सिस्टम्स प्रा. लि., नई दिल्ली।

www.nacoonline.org

NACO समाचार

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
की समाचार पत्रिका

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

खंड IV, अंक 3
जुलाई-सितम्बर 2008

मेनस्ट्रीमिंग के गुण

एचआईवी/एड्स की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहु-क्षेत्रीय रणनीति

8 अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलनः मैक्सिको की यात्रा
10 गांवों के अंचल में
11 भारतीय दंड संहिता की धारा 377
13 युवा भारत के लिए प्रोटोकॉल
15 ईश्वर के अपने देश में